

S-3299/c

पत्रांक 905 / पी०एस०
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।
25.5.16
26.9.19



URGENT

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

अधीक्षक,
श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

विषय :-

S.T.No.-199/11 (सूर्यगढ़ा थाना काण्ड सं०-334/08) में डॉ० विभूति भूषण प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी के गवाही के संबंध में।

लखीसराय, दिनांक- 27.8.19

5933 महाशय,
26/9/19

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि S.T.No.-199/11 (सूर्यगढ़ा थाना काण्ड सं०-334/08) में साक्षी डॉ० विभूति भूषण प्रसाद, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुंगेर वर्तमान सम्प्रति श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल, मुजफ्फरपुर का गवाही माननीय त्वरित न्यायालय प्रथम, लखीसराय के न्यायालय में दिनांक-09.09.2019 को प्रातः 10:30 बजे निर्धारित है एवं ट्रायल कोर्ट के द्वारा साक्षी चिकित्सा पदाधिकारी का गवाही नहीं होने के कारण अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वाद हत्या जैसे गंभीर काण्ड से संबंधित है, जिसमें सभी गैर सरकारी अभियोजन साक्षियों की गवाही हो चुकी है तथा साक्षियों द्वारा प्राथमिकी/घटना समर्थन किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर अनुरोध करने पर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है, चूंकि वाद वर्षों पुराना है। निर्धारित तिथि को माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर वाद में अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित सरकारी साक्षी की होगी। सिर्फ उक्त चिकित्सा पदाधिकारी की गवाही हेतु उपरोक्त वाद लंबित चला आ रहा है।

अतः अनुरोध है कि डॉ० विभूति भूषण प्रसाद को अपने स्तर से संबंधित न्यायालय में निर्धारित तिथि दिनांक-09.09.2019 को ससमय गवाही देने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाय।

Sri Krishan Medical College, Muz.

Letter No.: 10594/19
Date: 28/09/19

विश्वनाथ

[Signature]
27/09/19
पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।

प्रतिलिपि:-

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को। माननीय न्यायालय से उपरोक्त वाद में डॉ० विभूति भूषण प्रसाद के विरुद्ध निर्गत अजमानतीय अधिपत्र को मूल में संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अधिपत्र का तामिला संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से कराने की कृपा की जाय।

यह सुकदेव एच
साक्षी का अद्य गपट को
को सुकदेव

[Signature]
27/09/19
पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।